

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 859

Dated: 30-06-2017

Page No. i (Reprint of Fourth Edition)

Receipts Heads (Revenue Account)

Sector: A. Tax Revenue


Sub-Sector: (a) Goods and Services Tax

Insert following new Major Head below existing Major Head '0008
Integrated Goods and Services Tax (IGST) (incorporated vide CS 845
dated 19-06-2017):

0009 Goods and Services Tax Compensation Cess

Page 1

(Effective from 2017-18)
(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 860

Dated: 30-06-2017

Page No. 1 (Reprint of Fourth Edition)

Insert new Major Head below Major Head '0008-Integrated Goods and Services Tax' (incorporated vide CS 850 dated 19-06-2017) as under:

Major Head: 0009 Goods and Services Tax Compensation Cess

Sub-Major Head: 01 GST Compensation cess on Import/Export of Goods and Services

Minor Head:

- 101 Cess(1), (2)
- 102 Interest (1)
- 103 Penalty (1)
- 104 Fees (1)
- 109 Sale proceeds of confiscated Goods (3)
- 500 Receipts awaiting transfer to other Minor Heads (4)
- 800 Other Receipts (1)

Sub-Major Head: 02 GST Compensation cess on Domestic Supply of Goods and Services

Minor Head:

- 101 Cess(1), (2)
- 102 Interest (1)
- 103 Penalty (1)
- 104 Fees (1)
- 109 Sale proceeds of confiscated Goods (3)
- 500 Receipts awaiting transfer to other Minor Heads (4)
- 800 Other Receipts (1)

Notes:

(1) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:

01-Collections

02-Deduct Refunds

(2) Sub-Head 'Deduct Refunds' below Minor Head '101-Cess' will include Detailed Heads (1) Excess due to mistake/inadvertence, (2) Exports, (3) Deemed Export, (4) Provisional Assessment, (5) Pre-deposit for filing

appeal, (6) Refund or duty paid during investigation, (7) Purchases made by embassies, (8) Refund of Accumulated credit due to Inverted duty structure, (9) Year end or volume based incentives, (10) Cess Refund for international tourists, (11) Others.

(3) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:


01-Sale proceeds of confiscated Goods

02-Fees, Fines and Penalties.

(4) Any errors arising after revenue realised would be initially booked under this minor head as credit entry. After the completion of reconciliation process, the same entry would be cleared by minus Credit to this Minor Head and Credit to appropriate minor head.

(Effective from 2017-18)

(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)

Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 861

Dated: 30-06-2017

Page No. 1 (Reprint of Fourth Edition)

Major Head: 0008 Integrated Goods and Services Tax (IGST)

Substitute all the Minor Heads opened vide Correction Slip Number 850 dated 19-06-2017 with the following new Sub-Major Heads and Minor Heads thereunder:

Sub-Major Head: 01 IGST on Import/Export of Goods and Services

Minor Head:	101	Tax (1), (2)
	102	Interest (1)
	103	Penalty (1)
	104	Fees (3)
	105	Input Tax Credit cross utilisation between IGST & CGST (4)
	106	Input Tax Credit cross utilisation between IGST & SGST (5)
	107	Input Tax Credit cross utilisation between IGST & UTGST (6)
	109	Sale proceeds of confiscated Goods (7)
	500	Receipts awaiting transfer to other Minor Heads (8)
	800	Other Receipts (3)
	901	Share of net proceeds assigned to States (9)
	950	Apportionment of IGST-Transfer out of Tax Component to CGST (10)
	951	Apportionment of IGST-Transfer out of Interest Component to CGST (10)
	952	Apportionment of IGST-Transfer out of Penalty Component to CGST (10)
	953	Apportionment of IGST-Transfer out of Tax Component to SGST (10), (11)
	954	Apportionment of IGST-Transfer out of Interest Component to SGST (10), (11)
	955	Apportionment of IGST-Transfer out of Penalty Component to SGST (10), (11)
	956	Apportionment of IGST-Transfer out of Tax Component to UTGST (10), (12)
	957	Apportionment of IGST-Transfer out of Interest Component to UTGST (10), (12)
	958	Apportionment of IGST-Transfer out of Penalty Component to UTGST(10), (12)

Sub-Major Head:	02	IGST on Domestic Supply of Goods and Services
Minor Head:	101	Tax (1), (2)
	102	Interest (1)
	103	Penalty (1)
	104	Fees (3)
	105	Input Tax Credit cross utilisation between IGST & CGST (4)
	106	Input Tax Credit cross utilisation between IGST & SGST (5)
	107	Input Tax Credit cross utilisation between IGST & UTGST (6)
	109	Sale proceeds of confiscated Goods (7)
	500	Receipts awaiting transfer to other Minor Heads (8)
	800	Other Receipts (3)
	901	Share of net proceeds assigned to States (9)
	950	Apportionment of IGST-Transfer out of Tax Component to CGST (10)
	951	Apportionment of IGST-Transfer out of Interest Component to CGST (10)
	952	Apportionment of IGST-Transfer out of Penalty Component to CGST (10)
	953	Apportionment of IGST-Transfer out of Tax Component to SGST (10), (11)
	954	Apportionment of IGST-Transfer out of Interest Component to SGST (10), (11)
	955	Apportionment of IGST-Transfer out of Penalty Component to SGST (10), (11)
	956	Apportionment of IGST-Transfer out of Tax Component to UTGST (10), (12)
	957	Apportionment of IGST-Transfer out of Interest Component to UTGST (10), (12)
	958	Apportionment of IGST-Transfer out of Penalty Component to UTGST (10), (12)

Notes:

- (1) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:
01-Collections
02-Deduct Refunds
- (2) Sub-Head 'Deduct Refunds' below Minor Head '101-Tax' will include Detailed Heads (1) Excess due to mistake/inadvertence, (2) Exports, (3) Deemed Export, (4) Provisional Assessment, (5) Pre-deposit for filing appeal, (6) Refund or duty paid during investigation, (7) Purchases made by embassies, (8) Refund of Accumulated credit due to Inverted duty structure, (9) Year end or volume based incentives, (10) Tax Refund for international tourists, (11) Others.
- (3) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:

**01-Collections
02-Deduct Refunds**

(4) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:

- 01-Transfer-in to IGST from CGST**
- 02-Transfer-out from IGST to CGST**

(5) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:

- 01-Transfer-in to IGST from SGST**
- 02-Transfer out from IGST to SGST**

(Distinct Detailed heads for each State/Union Territory with Legislature Government may be opened under Sub-Heads 01 & 02 above).

(6) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:

- 01-Transfer-in to IGST from UTGST**
- 02-Transfer-out from IGST to UTGST**

(Distinct Detailed heads for each UT (without legislature) may be opened under Sub-Heads 01 & 02 above).

(7) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:

- 01-Sale proceeds of confiscated Goods**
- 02-Fees, Fines and Penalties.**

(8) Any errors arising after revenue realised would be initially booked under this minor head as credit entry. After the completion of reconciliation process, the same entry would be cleared by minus Credit to this Minor Head and Credit to appropriate minor head.


(9) This Minor Head will figure as a minus entry in the Central Government Accounts and as a plus entry in the States Accounts.

(10) The amounts under this Minor Head will be a Minus figure.

(11) Distinct Sub-Heads for each State may be opened under this Minor Head.

(12) Distinct Sub-Heads for each UT (without legislature) may be opened under this Minor Head.

**(Effective from 2017-18)
(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)**



**(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)**

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 862

Dated: 30-06-2017


Page No. 379 (Reprint of Fourth Edition)

Major Head: 8235 General and Other Reserve Funds

Insert following new Minor Head below the existing Minor Head '142-Bharat Infrastructure Kosh' (incorporated vide CS 844 dated 12-06-2017):

Minor Head: 143 Goods and Services Tax Compensation Fund

(Effective from 2017-18)
(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ और राज्य के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं.859
दिनांक: 30-6-2017

पृष्ठ सं.। (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

प्राप्तियां शीर्ष (राजस्व लेखा)

सेक्टर: क- कर राजस्व

उप सेक्टर: (क) वस्तु और सेवा कर

निम्नलिखित नए मुख्य शीर्ष को विद्यमान मुख्य शीर्ष '0008 - एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) (शुद्धि पर्ची 845 दिनांक 19-06-2017 द्वारा समाविष्ट) के नीचे अंतःस्थापित करें:

0009 वस्तु और सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर पृष्ठ 1

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी - 14018/09/2015/जीएसटी/कोड)

विनय सिंहल

(विनय सिंहल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ और राज्य के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं.860

दिनांक: 30-6-2017

पृष्ठ संख्या 1 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

नए मुख्य शीर्ष को मुख्य शीर्ष '0008-एकीकृत वस्तु और सेवा कर' (शुद्धि पर्ची 850 दिनांक 19-06-2017 द्वारा समाविष्ट) के नीचे निम्नानुसार अंतःस्थापित करे:

मुख्य शीर्ष: 0009 वस्तु और सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर

उप-मुख्य शीर्ष: 01 वस्तु और सेवाओं के आयात/निर्यात पर जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर

लघु शीर्ष:

101	उपकर (1), (2)
102	ब्याज (1)
103	शास्ति (1)
104	फीस (1)
109	जब्त माल की बिक्री आय (3)
500	अन्य लघु शीर्षों को स्थानांतरित की जाने वाली प्राप्ति (4)
800	अन्य प्राप्ति (1)

उप-मुख्य शीर्ष: 02 वस्तु और सेवाओं की घरेलू आपूर्ति पर जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर

लघु शीर्ष:

101	उपकर (1), (2)
102	ब्याज (1)
103	शास्ति (1)
104	फीस (1)
109	जब्त माल की बिक्री आय (3)
500	अन्य लघु शीर्षों को स्थानांतरित की जाने वाली प्राप्ति (4)
800	अन्य प्राप्ति (1)

नोट:

(1) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:

01 - वसूलियां

02 - घटाएं वापसियां

(2) लघु शीर्ष '101 - उपकर' के नीचे उप शीर्ष 'घटाएं वापसियां' में विस्तृत शीर्ष (1) गलती/चूक के कारण अधिक व्यय (2) निर्यात (3) डीमड निर्यात (4) अनंतिम आंकलन (5) अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा (6) जांच के दौरान धन वापसी या भुगतान शुल्क (7) दूतावासों द्वारा की गई खरीद (8) विपरीत शुल्क सरंचना के कारण संचित क्रेडिट की वापसी (9) वर्ष अंत अथवा मात्रा आधारित प्रोत्साहन (10) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को उपकर वापसी (11) अन्य शामिल हैं

(3) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:


01 - जब्त माल की बिक्री आय

02 - फीस, जुर्माना और शास्तियां

(4) राजस्व वसूली के बाद पता लगने वाली गलतियों को शुरुआत में इस लघु शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट प्रविष्टि के रूप में बुक किया जाएगा। समाधान प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस प्रविष्टि को इस लघु शीर्ष की ऋण क्रेडिट तथा उपयुक्त लघु शीर्ष को क्रेडिट द्वारा समाशोधन किया जाएगा।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी - 14018/09/2015/जीएसटी/कोड)



(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ और राज्य के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं.861

दिनांक: 30-6-2017

पृष्ठ संख्या 1 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष: 0008 एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी)

शुद्धि पर्ची संख्या 850 दिनांक 19-06-2017 द्वारा खोले गए सभी लघु शीर्षों के स्थान पर निम्नलिखित नए उप मुख्य शीर्षों और उनके नीचे लघु शीर्षों को रखें:

उप मुख्य शीर्ष: 01 वस्तु और सेवाओं के आयात/निर्यात पर आईजीएसटी

लघु शीर्ष:	101	कर (1), (2)
	102	ब्याज (1)
	103	शास्ति (1)
	104	फीस (3)
	105	आईजीएसटी और सीजीएसटी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग (4)
	106	आईजीएसटी और एसजीएसटी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग (5)
	107	आईजीएसटी और यूटीजीएसटी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग (6)
	109	जब्त माल की बिक्री आय (7)
	500	अन्य लघु शीर्षों को स्थानांतरित की जाने वाली प्राप्ति (8)
	800	अन्य प्राप्ति (3)
	901	राज्यों को समनुदेशित निवल आय का भाग (9)
	950	आईजीएसटी का बटवारा - सीजीएसटी को कर भाग का बाह्य स्थानांतरण (10)
	951	आईजीएसटी का बटवारा - सीजीएसटी को ब्याज भाग का बाह्य स्थानांतरण (10)
	952	आईजीएसटी का बटवारा - सीजीएसटी को शास्ति भाग का बाह्य स्थानांतरण (10)

- 953 आईजीएसटी का बटवारा - एसजीएसटी का कर भाग का बाह्य स्थानांतरण (10), (11)
- 954 आईजीएसटी का बटवारा - एसजीएसटी के ब्याज भाग का बाह्य स्थानांतरण (10),(11)
- 955 आईजीएसटी का बटवारा - एसजीएसटी के शास्ति भाग का बाह्य स्थानांतरण (10), (11)
- 956 आईजीएसटी का बटवारा - यूटीजीएसटी के कर भाग का बाह्य स्थानांतरण (10), (12)
- 957 आईजीएसटी का बटवारा - यूटीजीएसटी के ब्याज भाग का बाह्य स्थानांतरण (10), (12)
- 958 आईजीएसटी का बटवारा - यूटीजीएसटी के शास्ति भाग का बाह्य स्थानांतरण (10), (12)

उप-मुख्य शीर्षः

02 वस्तु और सेवाओं की घरेलू आपूर्ति पर आईजीएसटी

लघु शीर्ष

- 101 कर (1), (2)
- 102 ब्याज (1)
- 103 शास्ति (1)
- 104 फीस (3)
- 105 आईजीएसटी और सीजीएसटी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास उपयोग (4)
- 106 आईजीएसटी और एसजीएसटी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास उपयोग (5)
- 107 आईजीएसटी और यूटीजीएसटी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास उपयोग (6)
- 109 जब्त माल की बिक्री आय (7)
- 500 अन्य लघु शीर्षों को स्थानांतरित की जाने वाली प्राप्तियां (8)
- 800 अन्य प्राप्तियां (3)
- 901 राज्यों को समनुदेशित निवल आय का भाग (9)
- 950 आईजीएसटी का बटवारा - सीजीएसटी को कर भाग का बाह्य स्थानांतरण (10)
- 951 आईजीएसटी का बटवारा - सीजीएसटी को ब्याज भाग का बाह्य स्थानांतरण (10)

- 952 आईजीएसटी का बटवारा - सीजीएसटी को शास्ति भाग का बाह्य स्थानांतरण (10)
- 953 आईजीएसटी का बटवारा - एसजीएसटी का कर भाग का बाह्य स्थानांतरण (10), (11)
- 954 आईजीएसटी का बटवारा - एसजीएसटी के ब्याज भाग का बाह्य स्थानांतरण (10),(11)
- 955 आईजीएसटी का बटवारा - एसजीएसटी के शास्ति भाग का बाह्य स्थानांतरण (10), (11)
- 956 आईजीएसटी का बटवारा - यूटीजीएसटी के कर भाग का बाह्य स्थानांतरण (10), (12)
- 957 आईजीएसटी का बटवारा - यूटीजीएसटी के ब्याज भाग का बाह्य स्थानांतरण (10), (12)
- 958 आईजीएसटी का बटवारा - यूटीजीएसटी के शास्ति भाग का बाह्य स्थानांतरण (10), (12)


नोट:

- (1) यह लघु शीर्ष निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:
 01 - वसूलियां
 02 - घटाएं वापसियां
- (2) लघु शीर्ष '101- कर' के नीचे उप शीर्ष 'घटाएं वापसियां' में विस्तृत शीर्ष (1) चूक/गलती के कारण अधिक व्यय (2) निर्यात (3) डीमड निर्यात (4) अनंतिम आंकलन (5) अपील दायर के लिए पूर्व जमा (6) जांच के दौरान धन वापसी या भुगतान शुल्क (7) दूतावासों द्वारा की गई खरीद (8) विपरीत शुल्क संरचना के कारण संचित क्रेडिट की वापसी (9) वर्ष अंत अथवा मात्रा आधारित प्रोत्साहन (10) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए कर वापसी (11) अन्य शामिल हैं।
- (3) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:
 01 - वसूलियां
 02 - घटाएं वसूलियां
- (4) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा
 01 - सीजीएसटी से आईजीएसटी में अंतःस्थानांतरण
 02 - आईजीएसटी से सीजीएसटी में बाह्य स्थानांतरण
- (5) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:
 01 - एसजीएसटी से आईजीएसटी में अंतःस्थानांतरण
 02 - आईजीएसटी से एसजीएसटी में बाह्य स्थानांतरण

- (विधानमंडल वाले प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए विशेष विस्तृत शीर्ष उप शीर्ष 01 और 02 के अंतर्गत खोले जाए)
- (6) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:
01 - यूटीजीएसटी से आईजीएसटी में अंतःस्थानांतरण
02 -आईजीएसटी से यूटीजीएसटी में बाह्य स्थानांतरण (प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमंडल) के लिए अलग विस्तृत शीर्ष ऊपर उप शीर्ष 01 और 02 के अंतर्गत खोले जाए)
- (7) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:
01 - जब्त माल की बिक्री आय
02 - फीस, जुर्माना और शास्ति
- (8) राजस्व वसूली के बाद पता लगने वाली गलतियों को शुरुआत में इस लघु शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट प्रविष्टि के रूप में बुक किया जाएगा। समाधान प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस प्रविष्टि को इस लघु शीर्ष की ऋण क्रेडिट तथा उपयुक्त लघु शीर्ष को क्रेडिट द्वारा समाशोधन किया जाएगा।
- (9) यह लघु शीर्ष केंद्र सरकार लेखों में ऋण प्रविष्टि तथा राज्य लेखों में धन प्रविष्टि के रूप में दर्शाया जाएगा
- (10) इस शीर्ष के अंतर्गत राशि ऋण संख्या में होगी
- (11) प्रत्येक राज्य के लिए अलग उप शीर्ष इस लघु शीर्ष के अंतर्गत खोले जाएं।
- (12) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमंडल वाले) के लिए अलग उप शीर्ष इस लघु शीर्ष के अंतर्गत खोले जाएं ।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/09/2015/जीएसटी/कोड)



(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ और राज्य के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं.862
दिनांक: 30-6-2017


पृष्ठ सं. 379 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष: 8235 सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां

निम्नलिखित नए लघु शीर्ष को विद्यमान लघु शीर्ष '142 - भारत अवसंरचना कोष' (शुद्धि पर्ची 844 दिनांक 12-06-2017 द्वारा समाविष्ट) के नीचे अंतःस्थापित करे:

लघु शीर्ष: 143 वस्तु और सेवा कर प्रतिपूर्ति निधि

(2017-18 से प्रभावी)
(प्राधिकार टी-14018/09/2015/जीएसटी/कोड)



(विनय सिंघल)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)